

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम शिविर निसरा व
इजलास जगदीश ठापर R.A.S.

उन्वान

रसिंहोपि गंजेराम
नेसिंह
जाति गूर्जर निवासी
नेसरा तहसील
टोडाभीम

नरसी 5/0 सरदार
जाति गूर्जर निवासी
निसरा तहसील टोडाभीम

बनाम

बत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 58 सन् 2013

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई --- हमार --- व हाजिरी

रामभरोसी गुणा Adv. मिनकानिब गुदई रूबरु

व मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी
डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद
किया जाता है कि गाम निसरा की भूमि रबसरा नम्बर 196/3983
रकबा 0.04 है० तथा 196/3984 रकबा 0.04 है० वादीगण की
स्वातेदारी एवं कएजे काश्त में किसी प्रकार सजासहत, सदाखलत
नहीं करे नाति किसी भी प्रकार से ककाबट करे।

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 07 सन् 2015 जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करोली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी दाबा		
कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
जह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
साहान			फीस कमिशनर		
मिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
क					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।